मुन्तकिली प्रकरण सं0 53/2016 अनवानी 1–श्री जगमोहन सिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख नि0 3 सीसी तह0 पदमपुर 2– जसपालसिंह पुत्र निरंजन सिंह 3–जगतारसिंह पुत्र निरंजन सिंह बनाम 1–तहसीलदार, पदमपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत 16 बीबी 3–ग्राम पंचायत 16 बीबी जरिये सचिव 4–जसवंत सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जटसिख नि0 3 सीसी तह0 पदमपुर 5–हरजिन्द्र सिंह पुत्र जरनेल सिंह 6–देवेन्द्र सिंह पुत्र जरनेल सिंह 7–कर्मजीतकौर पत्नि हरजिन्द्र सिंह 8–जसप्रीतकौर पत्नि देवेन्द्र सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.12.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 4 ता 8 के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण जगमोहनसिंह, जसपाल सिंह, जगतार सिंह ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय द्वारा अपील सं0 15/2013 अनवानी जगमोहनसिंह वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16बीबी एवं जसवंतसिंह वगैरा में पारित निर्णय 02.02.16 के द्वारा चक 3सीसी के ईन्तकाल सं0 252 व 253 दिनांक 07.01.2013 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई एवं निस्तारण हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया गया है में तहसीलदार, पदमपुर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है इसलिए इसे अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में अपील सख्या 15/2013 अनवानी जगमोहन वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16 बीबी एवं जसवंत सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के द्वारा चक 3 सीसी के ईन्तकाल सं0 252 व 253 दिनांक 07.01.2013 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया गया है जो तहसीलदार, पदमपुर के न्यायालय में लंबित है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अप्रार्थी सं0 5 ता 8 क्रमशः हरजिन्द्रसिंह, देवेन्द्र सिंह, कर्मजीत कौर व जसप्रीत कौर ने अपील पेश कर रखी है जो उनके समक्ष लंबित है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार, पदमपुर से प्रार्थना की गयी कि मामला उच्चतर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सब–ज्यूडिस है। इसलिए इस प्रकरण में उन्हें कोई कार्यवाही नही करनी चाहिए। किन्तु उनके द्वारा लंबित प्रकरण की कोई परवाह न करके यह कहा कि प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी सं0 5 ता 8 के पक्ष में ही करेंगें। जबकि उनको कार्यवाही रोकनी चाहिए थी। इसलिए प्रार्थीगण को तहसीलदार, पदमपुर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण के संबंध में कोई पत्रावली नहीं खोली गई है और न ही कोई पत्रावली दर्ज करके कोई प्रकरण संख्या कायम किया गया है। तहसीलदार, पदमपुर न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही उक्त प्रकरण का मनमाने तरीके से निर्णय करने पर उतारू है। इसलिए उन्हें न्याय मिलने की संभावना नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

53/

उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा तहसीलदार, पदमपुर को निदेशित किया गया था कि पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। तहसीलदार पदमपुर ने पक्षकारो की सुनवाई के लिए कोई प्रकिया नही अपनाई है और न ही पत्रावली दर्ज रजिस्टर करके प्रकरण संख्या लगाया है और न ही पक्षकारो को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है और न ही कोई बहस सुनी है और वे तुरन्त निर्णय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए भी प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा तहसीलदार पदमपुर को प्रकरण रिमाण्ड करने पर तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 04.02.2016 को पत्रावली पेशी में ली गई और उनके द्वारा सुनवाई हेतु पक्षकारो को नोटिस जारी करके पत्रावली में सुनवाई की जा रही है। जिसमें दोनो पक्षो के अभिभाषक दिनांक 04.05.06 को उपस्थित हुए है। इसके पश्चात 13.05.16, 02.06.16, 09.06.16, 13.06.16 की तारीख पेशीयां मुकरर्र की गई है। कोई स्थगन आदेश न होने के कारण सबूत हेतु 18.07.16 मुकरर्र की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा यह कहना कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रिमाण्ड प्रकरण पर पत्रावली कायम किये, बिना प्रकिया अपनाये, साक्ष्य आदि का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में उतारू है, जो सही नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

उनका यह भी कथन है कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण पर कोई स्थगन आदेश नही है किन्तु प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष लंबित कार्यवाही में देरी करने के लिए ही यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र आधारहीन तथ्यों के साथ पेश किया है जो खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व तहसीलदार पदमपुर के प्रतिवेदन दिनांक 23.06.16 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के एक अपील अनवानी जगमोहन वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16 बी.बी. एवं जसवंत सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के द्वारा चक 3 सी.सी. के ईन्तकाल सं0 252 व 253 दिनांक 07.01.2013 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया है, में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार, पदमपुर के न्यायालय से उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए पेश किया है। तहसीलदार पदमपुर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 23.06.16 में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो का खण्डन करते हुए अंकित किया है कि उक्त रिमाण्ड प्रकरण को प्रकरण सं0 2/2016 के रूप में दिनांक 04.02.2016 को उनके न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया है और दोनो पक्षकारो को नोटिस जारी करके तारीख पेशी 21.04.2016 नियत की गयी है और दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित आये और उसके पश्चात 04.05.16, 13.05.16, 02.06.16, 09.06.16 व 27.06.16 की तारीख पेशीयां नियत की गयी है और अब बहस के लिए 27.06.16 नियत है और संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष लंबित अपील में भी कोई स्थगन आदेश कार्यवाही रोकने बाबत नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार प्रार्थीगण का यह आरोप कि तहसीलदार पदमपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर कोई पत्रावली नही खोली गई है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये निर्णय करने पर उतारू है, जो सही नही है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जहां तक प्रार्थीगण का यह कथन कि उच्चतर न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण सब–ज्यूडिस है। इसलिए तहसीलदार को अपने समक्ष लंबित प्रकरण में कोई कार्यवाही नही करनी चाहिए। चूंकि इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ही विधि अनुसार ही विचार करने के लिए सक्षम है न कि यह न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी बिन्दु पर दिये गये निर्णय पर प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा मुकदमा मुन्तकिली के लिए गया यह आधार स्वीकार करने योग्य नही है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर